



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127287

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19783 वर्ष 2026

रिहान .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : विवेक सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : आकाश तोमर, अतुल वर्मा, शासकीय अधिवक्ता, मोहित कुमार सिंह,  
सुजाता चौधरी

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. श्री विवेक सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से संशोधित पुकार में भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या 42 वर्ष 2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 103(1), 351(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- नौचंदी, जनपद- मेरठ में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 11 नामजद अभियुक्तों द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता पक्ष पर आगनेयास्त्रों से हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक असलम को गोली लगने की चोट आई और उसकी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मृत्यु हो गई तथा एक शोएब के कंधे पर गोली लगने की चोट आई। जब उसका कथन जांच अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया, तब उसने आवेदक के विरुद्ध हमला करने की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई तथा गोली मारने की विशिष्ट भूमिका सह-अभियुक्त आहद, असद, आमिर एवं तारिक को आरोपित की। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर प्रवेश घाव (Entry Wound) की कुल 5 चोटें पाई गईं। पाँच वादों के आपराधिक इतिहास का समुचित स्पष्टीकरण जमानत आवेदन तथा अनुपूरक शपथपत्र में दिया गया है। आवेदक दिनांक 27.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त इस्माइल उर्फ समीर उर्फ सुमैत तथा अमीर अहमद को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 04.06.2026 एवं 12.06.2026 को पारित आदेशों द्वारा, आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 17070 वर्ष 2026 तथा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 17502 वर्ष 2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है।

4. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वह इस तथ्य का विवाद नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् इस्माइल उर्फ समीर उर्फ सुमैत तथा अमीर अहमद को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
6. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् इस्माइल उर्फ समीर उर्फ सुमैत तथा अमीर अहमद को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है और उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न तो अपास्त किया गया है और न ही स्थगित किया गया है, तथा आवेदक दिनांक 27.02.2026 से जेल में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त समझता हूँ।
7. जमानत आवेदन अनुमन्य किया जाता है।



8. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में सम्मिलित आवेदक- रिहान को न्यायालय संबंधित की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। साथ ही, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक इस आशय का एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु तिथि नियत हो और साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
- (ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।
- (iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्धोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।
- (iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ, (2) आरोप गठन तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह ऐसे दोष को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 15 जून, 2026

नितेन्द्र

Translated Version. Not for Legal Use.